राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नाथीदेवी / कानीदेवी

तारीख हुक्म	369/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1	
07/3/18	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादिया / रेस्पोडेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 एव 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इन तथ्यो के साथ प्रस्तुत किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही खानदान के सगे दो भाईयो की औलाद है। वाद में सजरा खानदान अंकित करते हुये उल्लेख किया गया कि ग्राम पालडी मीणा तहसील सांगानेर मे वाराजी ख.न 507 रकबा 0.1800 हैक्टयर, ख.न 505 रकबा 0.0100 है0, ख.न 506 रकबा 0.5100 है0, ख.न. 504 रकबा 0.3000 है0 कुल किता चार कुल रकबा 1.0000 हैक्टयर जिसमे जाव एक 0.5000 है, चाही एक 0.4900 है, गैर मुमकीन चाह 0.0100 है0 भूमि है, जो पक्षकारान के पूर्वज नारायण व रामलाल पिसरान् रामसुख कौम बैरवा के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसके इन्तकाल के पश्चात वादी एवं प्रतिवादी उसके वारिसान् है। बिजली का बिल उक्त भूमि पर निर्मित कुऐ ख.न 505 दोनो नारायण व रामलाल के नाम से आते है। ख.न. 507 व 506 जयपुर - आगरा नेशनल हाईवे पर स्थित है जबकी ख.न 504 सड़क सीमा से दूरी पर है। उक्त खसरा नम्बरान् का विभाजन बाबत प्रतिवादीगण का करने हेतु अनुरोध करने पर उन्होंने	

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नाथीदेवी / कानीदेवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
369/2017		2

ऐलानिया कहा कि वे आराजी ख.नं. 504 ही रखेगे, जिससे वादी को वाद बाबत बंटवारा प्रस्तुत करना पड़ा। उक्त वाद में प्रतिवादीगण की ओर से जवाब वाद प्रस्तुत हुआ, जिसके पश्चात पक्षकारान के मध्य राजीनामे दो स्तर पर पृथक-पृथक प्रस्तुत हुये। पूर्व मे दिनांक 22/2/11 को एक प्रार्थना पत्र 151 के साथ राजीनामा प्रस्तुत हुआ किन्तु सभी पक्षकारो के न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने से तस्दीक नही हो सका तत्पश्चात दिनांक 25/2/2011 को पुनः प्रार्थना पत्र मय नक्शा प्रस्तुत हुआ, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक करते हुये प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26/12/2012 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखते हुये खारिज कर दी गई, जिसकी द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे प्रस्तुत हुई। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28/8/2015 के द्वारा अपील खारिज करते हुये पुनः विचारण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा गया, तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील से

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
369/2017	नाथीदेवी / कानीदेवी 3	

कुर्रेजात प्राप्त कर अन्तिम निर्णय दिनांक 27/7/2016 को पारित किया गया, जिसके विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत हुई। चूंकी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई। अतः मियाद हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र के प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थीया 70 वर्षीय वृद्धा है जो अनपढ़ एवं कानून से अनभिज्ञ है, जिसे अनभिज्ञता मे रखते हुये राजीनामे दिनांक 25/2/2015 के विपरित कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय पारित कर दिया गया, जिसकी जानकारी उसके अधिवक्ता द्वारा उसे नही दी गई किन्तु जब उसे यह ज्ञात हुआ कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसके हितो के विपरित अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक राजीनामा दिनांक 25/2/2015 के विपरित अन्तिम निर्णय पारित कर दीया गया है, तब नकल प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत करने मे देरी अपीलार्थीया की जानकारी के अभाव से हुई है। अतः अपील के गुणावगुण को देखते हुये अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नावीडवी | कानीडवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	369/2017 — 4	

के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद स्वीकार फरमाते हुये अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जाकर गुणावगुण पर निस्तारण फरमाया जावे। चूंकी प्रकरण में रेस्पोडेन्टस की ओर से अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। अत: मियाद के सम्बन्ध मे अभिभाषक प्रार्थी। अपीलार्थी की बहस से सन्तुष्ट होकर प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है एवं अपील पर गुणावगुण पर अभिभाषक अपीलार्थी को एकपक्षीय सुना गया।

अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ मे निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजीनामा मय नक्शा दिनांक 25/2/2011 तस्दीक हो चुका था, जिसके अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 'प्रारम्भिक डिक्री भी पारित कर दी गई थी एवं उक्त प्रारम्भिक डिक्री की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर एवं राजस्व मण्डल से खारिज होने के पश्चात राजीनामा दिनांक 25/2/2011 बरकरार रहा है। अत: अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसी के अनुरूप नक्शे अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कर अन्तिम डिक्री पारित किया

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नावीदेवी | कानीदेवी

तारीख हुक्म	369/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 5	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाना चाहिये था किन्तु बरवक्त कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने पक्षकारान को मौके पर नही बुलाया गया न ही मौके पर विभाजन हुआ, न ही इनकी उपस्थिति मे कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जो कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 15/7/2016 को प्रस्तुत हुई है, उसमे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 के खाते मे एक ऐयर जमीन ज्यादा है जबकी कुर्रेजात रिपोर्ट मे बराबर का हिस्सा होना चाहिये था। इसके अतिरिक्त अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में यह भी निवेदन किया गया कि अपीलार्थी रास्ते पर फ्रन्ट वाली जमीन कम दी गई है जबकी रेस्पोडेन्टस को रास्ते पर रोड के फ्रन्ट की जमीन ज्यादा दी गई है। इस प्रकार अपीलार्थी को कम किमत की भूमि दी गई है, जबकी रेस्पोडेन्टस को श्रेष्ठ फ्रन्ट की भूमि दी गई है, जो कि काफी मुल्यवान है। अत: अपील स्वीकार करमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27/7/2016 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुन: निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
369/2017	नाथीदेवी / कानीदेवी 6	

प्रकरण में रेस्पोडेन्टस के अभिभाषक के अनुपस्थित रहने से बहस अभिभाषक अपीलार्थी पर गौर किया गया एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय में मात्र यह अंकित किया है कि "न्यायहित मे मुताबिक उक्त कुर्रेजात जो कि प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25/2/2011 के अनुसरण मे प्राप्त हुई है इसके मुताबिक बाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचीत समझते है।" जबकि अधिनस्थ न्यायालय को तहसील से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे का पूर्ण अध्ययन कर पूर्ण विश्लेषित निर्णय अंकित करना चाहिये था कि किस पक्षकार के हक मे कौनसे खसरे का कौनसा हिस्सा प्राप्त हुआ। मात्र तहसील द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे को सही मानते हुये अन्तिम डिक्री पारित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता। जिससे उक्त कुर्रेजात के विरूद्ध

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	369/2017 नाथीदेवी / कानीदेवी 7	
	अपीलार्थी की आपत्तियो का निस्तारण नही हुआ है। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 27/7/2016 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि तहसील से पक्षकारान की उपस्थिति मे राजीनामा दिनांक 25/2/2011 के अनुरूप कुर्रेजात तैयार करवा कर तदनुसार अन्तिम डिक्री पारित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.03.18 को लिखाया जाकर सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर